ग्राम पंचायत दोबड़, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दोबड़, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत दोबड़ में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती बबिता	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री महिंदर सिंह	01.04.2022 से 16.03.2024
2.	श्री राजेश कुमार	17.03.2024 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दोबड़, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	7.05
2)	8.1	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.38
3)	9.1	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.64
4)	10.1 व 10.2	अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	4.47

भाग-2

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

ग्राम पंचायत दोबड़, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23/08/2024 से 30/08/2024 तक ग्राम पंचायत दोबड़ के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	09/2022	12/2022
2023-24	02/2024	06/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत दोबड़, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की

राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 734/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत दोबड़ द्वारा पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या UKZ 094355 दिनांक 11/09/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत दोबड़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 716/2024 दिनांक 24/08/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आठ रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत Offline, अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) Offline, स्वच्छ भारत मिशन (Offline), 15वां वित्तायोग (Online), 5वां वित्तायोग (Offline), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 Offline, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (अंशदान) Offline व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	501275.64	6345151.261	6846426.90	6419524.19	426902.71
2	2023-24	426902.71	4981702.05	5408604.76	4660260.05	748344.71

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत दोबड़ के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹7631.00** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा **4(क)** का अंतशेष	748344.71
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**755975.71**

3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	00.00
4)	**योग (2+3)**	**755975.71**
5)	**अन्तर (4-1)**	**7631.00**

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.08 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्ष की रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹7631** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 719/2024 दिनांक 24/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि अंतर के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा|

क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)**	**दिनांक 31.03.2024 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)**	**अन्तर (₹)**
1	**2**	**3**	**4**	**5(4-3)**
1	15वें वित्तायोग	473480.00	481111.00	7631.00
			योग	**7631.00**

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 716/2024 दिनांक 24/08/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 55/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹7.05 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 716/2024 दिनांक 24/08/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में **₹705464.39** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 716/2024 दिनांक 24/08/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 55/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु

जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 716/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 55/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 716/2024 दिनांक 24/08/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 55/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर राशि **₹3250 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	2050	12350	14400	14400	00
2023-24	00	12350	12350	9100	3250

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹1600** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	400
2	2023-24	1200
	योग	**1600**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 723/2024 दिनांक 28/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के

अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट ग में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹800** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
1	2022-23	200
2	2023-24	600
	योग	**800**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 724/2024 दिनांक 24/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके, राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवा दी जाएगी। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 ₹1.38 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 12/2022 व 06/2023 में **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹137558** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 727/2024 दिनांक 29/08/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी। अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई

सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.14 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹14039.52** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 726/2024 दिनांक 29/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है | अत: उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए | सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	वाउचर / बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own	12/22	006 26.05.23	M/s Deepak Sharma & Associates Una	Digital Signature	1770
2	MNREGA	06/23	359 08.11.22	Shiv Om Steel traders	Steel	12269.52
					योग	**14039.52**

8.3 तकनीकी मूल्यांकन के बिना ₹0.02 लाख की मजदूरी का भुगतान :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं प० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : एस एम एस -17 /2002 – आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22.09.2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य के मूल्यांकन करने के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा । लेकिन व्यय के अवलोकन पर पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत

निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोल के अन्तर्गत भुगतान की गई **₹1696** की मजदूरी की माप पुस्तिका में मूल्यांकन / कार्य प्रगति की प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी | उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 725/2024 दिनांक 29/08/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया । प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि माप पुस्तिकाओं में मूल्यांकन करवा दिया जाएगा। अतः माप पुस्तिका में मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में विकास कार्यों का मुल्यांकन उपरान्त ही मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	मद का नाम	माह	मस्ट्रोल संख्या	अवधि	कार्य का नाम	राशि (₹)	टिप्पणी
1	मनरेगा	12/22	4906	01.12.22 To 15.12.22	C/o Ambulance road main road se H/O Prem Chand	1696	मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या 1016 का पृष्ठ संख्या 46 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ खाली छोड़ा गया था।

9.1 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.64 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल /2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 12/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट "ड."** अनुसार **₹63780.90** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 730/2024 दिनांक 29/08/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: **₹63780.90** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9.2 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.07 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष

2022-23 के चयनित माह 12/22 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹343132** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹6863** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2022-23	M/s Navdurge Enterprises Raipur	Sand, agg. etc	343132	343132	6862.64 (2% x343132)
				योग	**343132**	**6862.64**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 733/2024 दिनांक 30/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹6863** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.3 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के सम्बन्ध में स्वयं लाभार्थी को सामग्री का क्रय करना होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula : **Actual unskilled labour cost × 2/3** =

Material Cost परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करते हुए **निम्न विवरणानुसार** सामग्री के रूप में **₹13369** का अधिक भुगतान किया गया था। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 732/2024 दिनांक 30/08/2024 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	लाभार्थी को व्यय राशि (₹)	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि (₹)	लाभार्थी को अधिक भुगतान राशि (₹)
1	C/O R/Wall Near H/O Jeewan Kumar	(मस्ट्रोल संख्या 3603, 4325 व 4899) (6360+12720+5088= 24168 × 2/3 = 16112)	16893	16112	781
2	C/O R/Wall Near H/O Hoshiyar Singh	(मस्ट्रोल संख्या 3604, 4164 व 4327) (6360+6360+12720= 25440 × 2/3 = 16960	17685	16960	725
3	C/O R/Wall Near H/O Kamal Parmar	(मस्ट्रोल संख्या 3607, 4165, 4328, 4900, 5060) (3180+6360+1272+8904+6360= 26073 × 2/3 = 17384)	18698	17384	1314
4	C/O R/Wall Near H/O Pyar Singh	(मस्ट्रोल संख्या 3610, 4330, 4902 व 5554) (212+10388+5724+6360= 22684 × 2/3 = 15123)	16893	15123	1770
6	C/O R/Wall Near H/O Ashwani kumar	(मस्ट्रोल संख्या 3612, 4166, 4904 व 5557) (6360+9540+5088+2756= 23744 × 2/3 = 15829)	18698	15829	2869
7	C/O R/Wall Near H/O Jogesh Chand	(मस्ट्रोल संख्या 3613 व 4168) (6360+8480= 14840 × 2/3 =9893)	15803	9893	5910
				योग	**13369**

9.4 निर्माण सामग्री से ₹0.12 लाख की रिक्तियों (Voids) की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन (2.1.2.13) के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा

पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 12/2022 में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री की मात्रा से निर्धारित दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता को **निम्न विवरणानुसार ₹12416** का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 728/2024 दिनांक 29/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अत: रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके सम्बन्धित निधि के खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	योजना	बिल संख्या व दिनांक	फर्म/ व्यक्ति का नाम	सामग्री	मात्रा (घन मीटर)	दर (प्रति घन मीटर)	राशि (₹)	कटौती दर (%)	कटौती राशि (₹)
1	PMKSY2.0	228 20.12.22	M/s Navdurge Enterprises VPO Raipur	पत्थर	44	1128.75	49664	12.5	6208
2	PMKSY2.0	229 20.12.22	M/s Navdurge Enterprises VPO Raipur	पत्थर	44	1128.75	49664	12.5	6208
								योग	**12416**

10.1 ₹4.33 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2023 में **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत **₹433171.28** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 729/2024 दिनांक 29/08/2024 द्वारा सत्यापना हेतु

अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)
1	MNREGA	06/23	Chenalization nala Hwarla vill. dobar	626080 20.04.23	Cement	108936
2	MNREGA	06/23	Chenalization nala in land of chaman lal	626080 20.04.23	Cement	127092
3	MNREGA	06/23	Chenalization nala in land of Vijay Kumar	626080 20.04.23	Cement	127092
4	MNREGA	06/23	C/O Cyclone Shelter at panchvati vill. Badour gp dobar	359 08.11.22	Steel	12269.52
5	MNREGA	06/23	C/O Tracking path panchvati vill. dobar	34 23.05.22	Wall tiles	57781.76
					योग	**433171.28**

10.2 ₹0.14 लाख के कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 731/2024 दिनांक 29/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **₹13946 के निम्न विवरणानुसार** कार्य से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, 34 नंबर फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 57/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्य से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | उत्तर संतोषजनक नहीं है,

क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	मद का नाम	माह	निर्माण कार्य का नाम	चयनित माह में भुगतान की गई राशि (₹)
2	MNREGA	06/22	C/o R/Wall near H/O Kamal Parmar S/o Shakta Ram	13946
			योग	**13946**

11 अग्रिम राशि ₹1.03 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 716/2024 दिनांक 24/08/2024 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 55/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन बंगाणा को सीमेंट के क्रय हेतू **निम्नानुसार ₹103489** का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.24 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ | अत: हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन बंगाणा से उक्त असमायोजित राशि **₹103489** को समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनाक	फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया	सामान का विवरण	अग्रिम राशि (₹)	दिनांक 31/03/24 तक समायोजित राशि (₹)	दिनांक 31/03/24 तक समायोजन हेतू शेष राशि (₹)
1	MNREGA	C/O Ambulance road main road se abadi surjit singh, hoshiyar singh etc	62608 20.04.23	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. Bangana	सीमेंट	103489	0	103489
					योग	**103489**	**0**	**103489**

12 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 717/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 56/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

13 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 716/2024 दिनांक 24/08/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 55/2024 दिनांक 30/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया

जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

15 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

26 NOV 2024 5698 – 5702

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)112/2024–खण्ड–1 दिनॉक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत दोबड़, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

26 NOV 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ~~रायपुर मैदान~~ दोबड़, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	501275.64	6345151.261	6846426.90	6419524.19	426902.71
2	2023-24	426902.71	4981702.05	5408604.76	4660260.05	748344.71

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोबड़
वि.ख.बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत दोबड, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	58445.64	67037	125482.64	92302.32	33180.32
2	2023-24	33180.32	58011	91191.32	48311	42880.32

अनुदान Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक (Planning Head)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	1506462	1506462	1500124.61	6337.39
2	2023-24	6337.39	170861	177198.39	25776	151422.39
स्वच्छ भारत मिशन (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	0	0	0	0
2	2023-24	0	36540	36540	0	36540

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	442586	609174	1051760	666221	385539
2	2023-24	385539	132915	518454	44974	473480

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोबड़
वि.ख. बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	2907630.261	2907630.261	2907630.261	0
2	2023-24	0	3422835.05	3422835.05	3422835.05	0

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (Public Share) (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	0	0	0.00	0
2	2023-24	0	32395	32395	118	32277

5वां वित्तायोग Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	244	142102	142346	140500.00	1846
2	2023-24	1846	147299	149145	137400	11745

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	1112746	1112746	1112746.00	0
2	2023-24	0	980846	980846	980846	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोबड़
वि.ख. अंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	748344.71
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**755975.71**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	00.00
4)	**योग (2+3)**	**755975.71**
5)	**अन्तर (4-1)**	**7631.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोबड़
वि.ख.बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या ५(ख) में संदर्भित

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Raipur (SBM)	50076202190	36540.00
	PNB Raipur (GIA)	2136000100081057	151422.39
	PNB Raipur (Sabha nidhi)	2136000100081066	42880.32
	PNB Raipur (15th Fc)	2136000100081084	481111.00
	PNB Raipur (5th Fc)	2136000100081075	11745.00
	PNB Raipur (PMKSY 2.0 Cont. Share)	2136000100084762	32277.00
	PNB Raipur (BMC)	2136000100084610	0.00
	SBI (SLNA SHIMLA)	00000041164123838	0.00
		योग	**755975.71**
2		हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	00.00
		योग (1+2)	**755975.71**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोबड़
वि.ख.बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट ख

पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत दोबड, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022-23	2050	12350	14400	14400	00
2023-24	00	12350	12350	9100	3250

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोबड़
वि.ख.बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)

परिशिष्ट-ग

पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में सन्दर्भित

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक पंजीकृत शादियों की सूची

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	बसूली योग्य राशी	बसूली	बसूली हेतु शेष राशी
1	सौरभ पुत्र कवि राज गांव बडौर	23-06-2022	26-07-2022	1	400	200	200
2	रोहित परमार पुत्र सजीवन कुमार गांव रायपुर	02-12-2022	29-12-2022	2	200	200	0
3	शाही राहुल परमार सुपुत्र अशोक परमार गांव दोबड	03-05-2023	24-05-2023	3	200	200	0
4	राजेश कुमार सुपुत्र जोगेश चंद गांव दोबड	12-05-2023	15-07-2023	4	400	200	200
5	अजय कुमार सुपुत्र बिधि चंद गांव रायपुर	29-05-2023	24-07-2023	5	400	200	200
6	गौरव शर्मा सुपुत्र जीवन लाल गांव रायपुर	28-11-2023	30-11-2023	6	200	200	0
7	अमन परमार सुपुत्र मेहर सिंह गांव दोबड	09-11-2023	09-01-2024	7	400	200	200
8	रजत परमार सुपुत्र रत्तन सिंह गांव दोबड	07-03-2024	22-03-2024	8	200	200	0
				कुल योग	2400	1600	800

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोबड़
वि.ख. बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)

परिशिष्ट-47 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	भुगतान माह	वाउचर / बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own	12/22	006 26.05.23	M/s Deepak Sharma & Associates Una	Digital Signature	1770
2	15th Fc	12/22	266 15.11.22	Shiv Shakti Tiles & Sanitary Store Barnoh	Pvc Pipe, bend etc.	45724
3	MNREGA	06/23	213 15.11.22	M/s Navdurge Enterprises VPO Raipur	Sand, agg etc	12933
4	MNREGA	06/23	215 15.11.22	M/s Navdurge Enterprises VPO Raipur	Sand, agg etc	12933
5	MNREGA	06/23	214 15.11.22	M/s Navdurge Enterprises VPO Raipur	Sand, agg etc	12933
6	MNREGA	06/23	223 20.12.22	M/s Navdurge Enterprises VPO Raipur	Sand, agg etc	12543
7	MNREGA	06/23	216 15.11.22	M/s Navdurge Enterprises VPO Raipur	Sand, agg etc	12933
8	MNREGA	06/23	218 15.11.22	M/s Navdurge Enterprises VPO Raipur	Sand, agg etc	13946
9	MNREGA	06/23	220 15.11.22	M/s Navdurge Enterprises VPO Raipur	Sand, agg etc	11843
					योग	137558

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोबड़
वि.ख. बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट-ड़

पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत दोबड़ , विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना												
क्रम संख्या	योजना	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्ज़न फैक्टर	मात्रा टनों में	देय रॉयल्टी (प्रति टन)	राशि
1	मनरेगा	JUN-23	निर्माण डंगा नजदीक मकान तारा देवी पत्नी कमान सिंह	213	15/11/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	3	1.62	4.86	80	388.8
							बजरी	5.5	1.52	8.36	80	668.8
2	मनरेगा	JUN-23	निर्माण डंगा जीवन कुमार पुत्र कांशी राम	215	15/11/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	3	1.62	4.86	80	388.8
							बजरी	5.5	1.52	8.36	80	668.8
3	मनरेगा	JUN-23	निर्माण डंगा होशियार सिंह पुत्र बाला राम	214	15/11/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	3	1.62	4.86	80	388.8
							बजरी	5.5	1.52	8.36	80	668.8
4	मनरेगा	JUN-23	निर्माण डंगा कमल परमार पुत्र सकता राम	219	15/11/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	3	1.62	4.86	80	388.8
							बजरी	6	1.52	9.12	80	729.6
5	मनरेगा	JUN-23	निर्माण डंगा संध्या देवी पत्नी विधि चंद	223	20/12/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	3	1.62	4.86	80	388.8
							बजरी	5.5	1.52	8.36	80	668.8
6	मनरेगा	JUN-23	निर्माण डंगा प्यार सिंह पुत्र रिखी राम	216	15/11/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	3	1.62	4.86	80	388.8
							बजरी	5.5	1.52	8.36	80	668.8
7	मनरेगा	JUN-23	निर्माण डंगा मदन लाल पुत्र रिखी राम	217	15/11/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	3	1.62	4.86	80	388.8
							बजरी	5.5	1.52	8.36	80	668.8
8	मनरेगा	JUN-23	निर्माण डंगा अश्वनी कुमार पुत्र जगदीश चंद	218	15/11/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	3	1.62	4.86	80	388.8
							बजरी	6	1.52	9.12	80	729.6
9	मनरेगा	JUN-23	निर्माण डंगा जोगेश चंद पुत्र मंशा राम	220	15/11/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	3	1.62	4.86	80	388.8
							बजरी	4	1.52	6.08	80	486.4

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोबड़
वि.ख.बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)

10	PMKSY2.0	`DEC-22	निर्माण चेक डैम नजदीक कुआँ दोबड	222	20/12/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	20	1.62	32.4	80	2592
11	PMKSY2.0	`DEC-22	निर्माण चेक डैम नजदीक कुआँ दोबड	221	20/12/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	बजरी	28	1.52	42.56	80	3404.8
12	PMKSY2.0	`DEC-22	RCC टैंक दोबड	224	20/12/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	12	1.62	19.44	80	1555.2
							बजरी	18	1.52	27.36	80	2188.8
13	PMKSY2.0	`DEC-22	चेक डैम गांव दोबड	225	20/12/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	बजरी	29	1.52	44.08	80	3526.4
14	PMKSY2.0	`DEC-22	चेक डैम गांव दोबड	226	20/12/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	19	1.62	30.78	80	2462.4
15	PMKSY2.0	`DEC-22	चेक डैम गांव दोबड	227	20/12/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	रेत	12	1.62	19.44	80	1555.2
							बजरी	17	1.52	25.84	80	2067.2
16	PMKSY2.0	`DEC-22	क्रेट वाल दोबड	228	20/12/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	पत्थर	44	2.24	98.56	80	7884.8
17.	PMKSY2.0	`DEC-22	क्रेट वाल दोबड	229	20/12/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	पत्थर	44	2.24	98.56	80	7884.8
18	PMKSY2.0	`JUN-23	चेक डैम गांव दोबड	248	06-08-2023	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	बजरी	30	1.52	45.6	80	3648
19	PMKSY2.0	`JUN-23	चेक डैम गांव दोबड	7	06-07-2023	VISHAL RANA	रेत	8.45	1.62	13.689	80	1095.12
20	VKVNY	`JUN-23	निर्माण सामुदायिक केंद्र दोबड	207	16/09/2022	M/S NAVDURGE ENTERPRISES	बजरी	14	1.52	21.28	80	1702.4
									योग	637.809	80	51024.72
											25% पेनल्टी	12756.18
											कुल योग	63780.9

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोबड़
वि.ख.बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)

- 28 -

परिशिष्ट 'च'   पैरा संख्या 1.1 में संदर्भित

माह 12/22 में M/S NAVDURGE ENTERPRISES रायपुर को किए गए भुगतान का विवरण					
क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	बिल दिनाक	विवरण	राशि (जी.एस.टी. को छोडकर)
1	PMKSY2.0	222	20/12/2022	रेत	28800
2	PMKSY2.0	221	20/12/2022	बजरी	37380
3	PMKSY2.0	224	20/12/2022	रेत ,बजरी	41310
4	PMKSY2.0	225	20/12/2022	बजरी	38715
5	PMKSY2.0	226	20/12/2022	रेत	27360
6	PMKSY2.0	227	20/12/2022	रेत ,बजरी	39975
7	PMKSY2.0	228	20/12/2022	पत्थर	47300
8	PMKSY2.0	229	20/12/2022	पत्थर	47300
9	GIA	207	16/09/2022	शटरिंग बजरी ईंट ,सीमेंट किराया लोकल चक्कर	34992
				कुल योग	343132

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दोबड़
वि.ख.बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)